

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेटमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 76 वर्ष 2023

आवेदक- अनन्तलाल महतो

क्रेता- किरण देवी

ग्राम - पोटसो

टोला-XXX

ग्राम - पोटसो

टोला-XXX

थाना - नावाडीह

जिला-बोकारो

थाना - नावाडीह

जिला- बोकारो

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
-------------------------------------	---------------------------------------	---

आदेश

यह वाद आवेदक- आनंतलाल महतो पिता स्व० सोमर महतो निवासी ग्राम-पोटसो थाना-नावाडीह जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पोटसो	46	23	1544	1.23 ए०	07½ डी०	आवासीय योग्य

को वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये में क्रेता-किरण देवी पति धनेश्वर महतो ग्राम-पोटसो थाना -नावाडीह जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 672/रा० दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक 90 दिनांक 04.08.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं तथा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोनों ग्राम-पोटसो थाना-नावाडीह जिला-बोकारो का मूल निवासी हैं।

02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा-पोटसो खाता न० 23 सर्वे खतियान में बिक्रेता के परदादा के पिता-जैनाथ महतो के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी भी पंजी-II में किटु महतो के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2022-23 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है।

03. बिक्रेता को उक्त जमीन घरेलू बँटवारा के आधार पर हासिल है।

04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता आनंतलाल महतो के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा जैनाथ महतो के नाम सर्वे खतियानी जमीन है एवं उसकी जमाबन्दी किटु महतो के नाम चल रही है। बिक्री वाली जमीन उनके अंश की है, जिसे वे आवश्यकता वश क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के दखल कब्जे में है।

दोनों पक्षों के द्वारा निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता जैनाथ महतो के नाम सर्वे खतियान, किटु महतो के नाम सरकारी लगान रसीद, स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति ।
02. स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिला अर्थात बोकारो जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता परदादा जैनाथ महतो के नाम सर्वे खतियानी एवं बिक्रेता के अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः बिक्रेता- आनंतलाल महतो पिता स्व० सोमर महतो निवासी ग्राम-पोटसो थाना-नावाडीह जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पोटसो 46	23	1544	1.23 ए०	07½ डी०	नीज क्रेता	आनंतलाल महतो	Road	जंगल-झाडी

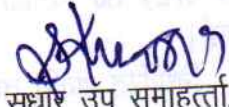
(सात पूर्णांक एक बटा दो) डीसिमल मात्र।

मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-किरण देवी पति धनेश्वर महतो ग्राम-पोटसो थाना-नावाडीह जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।